परिशिष्ट 'चालीस'

[9/12/2016]

प्रश्न सं. [क. 2050]

परिशिष्ट-1

होने पर शासन द्वारा की जा सकने वाली अनिवार्य सेवा निवृत्ति जो दण्ड नहीं मानी जाती) नहीं की जा सकती है क्योंकि निलम्बन की स्थिति के कारण यह सेवा निवृत्ति दण्ड मानी जायेगी और दण्ड जाँच के बगैर नहीं दिया जा सकता।

(12) निलम्बन अवधि में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर केवल निलम्बन की स्थिति समाप्त हो जाती है बल्कि निलम्बन की पूरी अवधि कर्तव्य अवधि मानी जाकर उस अवधि के लिए (पहले दिये जा चुके निर्वाह भत्ते की राशि काटकर) पूर्ण वेतन तथा भत्तों का भुगतान पात्र आश्रित को होता है।

(13) निलम्बन के बाद बहाली भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होगी।

निलम्बन पश्चात् पुनः स्थापन पर पद स्थापना

220. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि न्यायालय के आदेश के कारण अथवा निलम्बन आदेश वापस होने पर सम्बन्धित कर्मचारियों को जब शासकीय सेवा में लिया जाता है, तब उनकी नियुक्ति उसी स्थान पर कर दी जाती है, जहाँ कि वे पहले पदस्थ थे। इस व्यवस्था से कर्मचारी पर एक मानसिक तनाव बना रहता है और अपना पूरा ध्यान अपने कार्य में नहीं लगा पाता।

अतः शासन ने यह निर्णय लिया है कि न्यायालय के आदेश अथवा निलम्बन आदेश वापस लेने के पश्चात जब किसी कर्मचारी को सेवा में वापस लिया जाये तब उसकी नियुक्ति उसी स्थान पर न की जाये जहाँ कि वह पहले पदस्थ था :" (प्रतिलिपि)

[सा० प्र० वि० 1192/4396/1 (4) दि० 5-10-1974]

221. टीप—निलम्बित कर्मचारी को निलंबन के आदेश की तिथि से 45/90 दिन के अन्दर आरोप-पत्र आदि न जारी होने की स्थिति में उसके निलम्बन के प्रतिसंहृत हो जाने के प्रावधानों में यह निर्देश है कि, इस तरह निलम्बन प्रतिसंहृत हो जाने पर वह किस स्थान पर कर्तव्य पर उपस्थित होगा। प्रावधान है कि वह जहाँ से निलंबित हुआ था वहीं कर्तव्य पर उपस्थित होगा यदि 45/90 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई अन्य आदेश जारी न हुआ हो। उसके उपस्थित होने पर उस कार्यालय का प्रभारी, सक्षम प्राधिकारी को उस कर्मचारी के सम्बन्ध में औपचारिक आदेश जारी करने के लिये लिखेगा। मूल आदेश की प्रतिलिपि पैरा 48 में देखिये।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल